



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247203
CG-DL-E-10072023-247203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]
No. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2023/आषाढ 19, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2023/ASHADHA 19, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2023
सं. 21/2023

विषय: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) के तहत एचबीपी 2023 के परिशिष्ट-2क के पैरा 2.92 और अनुलग्नक-V के अंतर्गत संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/05/एएम-22/पीसी-2(ख)/पार्ट-1/ई-35577.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सार्वजनिक सूचना संख्या 46/2015-20 दिनांक 28.12.2022 के क्रम में, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 38/2023-सीमाशुल्क, दिनांक 23 मई, 2023 की समकालिकता में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत उल्लिखित निम्नलिखित मदों के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट 2क को निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

एचएस कोड	भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत मद का विवरण	कोटा दर (%)	टीआरक्यू मात्रा कैलेंडर वर्ष 2023 से आगे
52010020	<हटाया गया>		
52010024	न्यूनतम 28 मिमी स्टेपल लंबाई का कपास	0% शुल्क	51,000 मीट्रिक टन
52010025			

2. तदनुसार, भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत कपास की टीआरक्यू को पहले के आईटीसी (एचएस) कोड 52010020 को प्रतिस्थापित करते हुए आईटीसी (एचएस) कोड 52010024 और 52010025 के लिए माना जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 38/2023-सीमा शुल्क दिनांक 23 मई, 2023 की समकालिकता में भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए टीआरक्यू के तहत कपास के लिए आईटीसी (एचएस) कोडों को संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th July, 2023

No. 21 / 2023

Subject: Amendments under Para 2.92 and Annexure-V of Appendix-2A of HBP 2023 under India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) -reg

F. No. 01/93/180/05/AM-22/PC-2(B)/Part-I/E-35577.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, and in continuation to Public Notice No. 46/2015-20 dated 28.12.2022, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Para 2.92 and Appendix-2A of the Handbook of Procedure 2023 for the following items mentioned under Tariff Rate Quota (TRQ) under India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA), in-sync with the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 38/2023-Customs dated 23rd May, 2023 as follows –

HS code	Item Description under Ind-Aus ECTA	In Quota rate (%)	TRQ Quantity Calendar Year 2023 onwards
52010020	<deleted>		
52010024	Cotton of minimum 28 mm staple length	0% duty	51,000 MTs
52010025			

2. Accordingly, TRQ of cotton under the India-Aus ECTA shall be considered for ITC(HS) codes 52010024 and 52010025 substituting the earlier ITC(HS) code 52010020.

Effect of this Public Notice: ITC(HS) codes for Cotton under India-Aus ECTA TRQ has been revised in-sync with Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification no. 38/2023-Customs dated 23rd May 2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.